न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2021-349Ju2021-169 Hadmanram Vs Jagdish etc

---

01. हड़मानराम पुत्र कालूराम जाति विश्नोई निवासी- ग्राम हंसादेश, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जगदीश पुत्र बरसिंगाराम जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम हंसादेश, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

02. बिरबलराम पुत्र सुजाराम
03. भागीरथराम पुत्र कालूराम जाति विश्नोई निवासी- ग्राम हंसादेश तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
04. सुरताराम पुत्र सुरजाराम जाति रेबारी, ग्राम गांगा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर।
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट दिनांक 09 अप्रैल 2021 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 247/2020 जगदीशराम बनाम बीरबलराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री, पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 18. नवंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 247/2020 जगदीशराम बनाम बीरबलराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 09 अप्रैल 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 05 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अपने खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खेत खसरा नं. 1244/1 रकबा 30 बीघा मौजा हंसादेश तहसील लोहावट में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या एक चार की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नं. 1244 रकबा 59.18 बीघा में सें 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2021 को प्रत्यर्थी संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा पेश की गई एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर फेसला कर दिया। उक्त रिपोर्ट हालात के बिलकुल विपरीत है। यह रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट संख्या एक के कहे अनुसार तैयार कर पेश कर दी गई एवं अपीलार्थी को बुलाया ही नहीं गया। उक्त पत्रावली को दिनांक 01.02.2021 को अपीलार्थी की तरफ से मौका रिपोर्ट पर एतराज को बंद कर दिनांक 04.02.2021 को निर्णय हेतु रखा गया ,जिसका निर्णय 30 दिवस के भीतर नहीं किया जाकर पत्रावली में दो माह बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो इसी बिनाय पर खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी

करने काबिल है। मूल खसरा नं. 1244 में अपीलार्थी व रेस्पोडेंट सभी सह खातेदार थे, जिसका बंटवाड़ा आपसी सहमति से निस्तारित हुआ था। अपीलार्थी व रेस्पोडेंट के मध्य रास्ते के संबंध में दिनांक 07.09.2016 को एक घोषणा संपुष्टि तय हुई थी कि खसरा नं. 1231 में से खसरा नं. 1244 व 1228 की सीमा पर खसरा नं. 1230 के खातेदार खसरा नं. 1244/1 के खातेदार व खसरा नं. 1244 के खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से 1244 में सें 20 फीट रास्ता तय हो रखा है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त सहमति को दरकिनार करते हुए अपने खसरा नं. 1244/1 के लिए रास्ते का यह नया प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, जबकि अपीलार्थी तथा रेस्पोडेंट के अन्य सह खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1231 में अपीलार्थी आज भी दिनांक 07.09.2016 को रास्ते की जो सहमति बनी थी उस पर कायम है। तहसीलदार के आदेश क्रमांक 2019/1301 दिनांक 07.06.2019 की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट के कहे अनुसार एक तरफा मौका रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस मौका रिपोर्ट पर अीपलार्थी के एतराज को बिना तय किये ही प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण कर दिया एवं अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो किसी सूरत में बहाल रखने योग्य नहीं है। कानून का यह तय सुदा सिद्धांत है कि जहां आवागमन हेतु पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो फिर नया रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच नहीं की तथा पटवारी ने जो रिपोर्ट बनाकर पेश की उसमें भी वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच नहीं की गई। धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार काश्तकार की इच्छा के अनुसार नया रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही नया रास्ता उपलब्ध कराया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि इस पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर रखा था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी को बताया कि अभी कोरोना काल चल रहा है। न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। न्यायालय में काम शुरु होने पर आपको बुला लिया जावेगा। अभी हाल ही में दिनांक 01.10.2021 को अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने बताया कि आपकी पत्रावली में कोरोना काल में निर्णय कर दिया। तब अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु उसी दिन आवेदन किया जो नकल दिनांक 01.10.2021 को ही अपीलार्थी को मिल गई, जिसे पढाने से अपीलार्थी को इसकी जानकारी प्रथम बार हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर न्याय हित में अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 अप्रैल 2021 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन सम्यक रुप से तामील करवाये तथा अपीलांट जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय में उपास्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार समुचित सुनवाई कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मत लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया हैं। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति/उज्र पेश नहीं किया तथा पुनः न ही विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। मौका फर्द दिनांक 25.09.2019 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत खसरा नं. 1244/1 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता मार्क ए से बी निकतम एवं लघुतम रास्ता है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि पूर्व में खातेदारों की आपसी सहमति एवं समझाईस से खसरा नं. 1244 में सें 20 फीट रास्ता तय हो चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन रास्ता खसरा नं. 1244 में सें ही दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट पर सम्यक तामील होने पर उसके द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होना तथा बार-बार अवसर के बावजूद उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई संतोष जनक कारण स्पष्ट नहीं किये जाने तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत अपीलाधीन रास्ता निकटतम एवं लघुतम होने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत रास्ता विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09 अप्रैल 2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि. 18.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर